मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462004
——::::000::::——

क्रमांक एफ–1/4/2010/42–1, भोपाल, दिनांक 27.8.2018

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश के पोलीटेक्निक/महिला महाविद्यालयो में कार्यरत विभागाध्यक्षों के वेतन नियतन के संबंध में।

संदर्भः– आपकी पत्र कमांक–Gasseted/2/सी/2016/1394 दिनांक 31.8.2016 एवं आपकी टीप कमांक–प्रशा/2/राज/2017/ए/1615 /182 दिनांक 16.10.2017

——::::000::::——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप एवं पत्र का कृपया अवलोकन करे। संचालनालय के पत्र दिनांक 31.8.2016 के द्वारा एआईसीटीई नई दिल्ली को विभागाध्यक्षो के प्रारंभिक वेतन नियतन हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया था। एआईसीटीई द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.8.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सीधी भरती के विभागाध्यक्षो का प्रारंभिक वेतन पीबी–4 (37400–67000) में रूपये 40200 पर नियतन किया जायेगा। एआईसीटीई की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2010 एवं दिनांक 5 मार्च 2010 के परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रदत्त वेतनमान को तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 19.10.2010 द्वारा अधिग्रहित किया गया है तथा एआईसीटीई द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.8.2017 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 5 मार्च 2010 में विभागाध्यक्षो का प्रारंभिक वेतन पीबी–4 (37400–67000) में रूपये 40200 पर नियतन करने स्पष्टीकरण जारी किया है। अतएवं एआईसीटीई द्वारा समय–समय पर किये जारी किये स्पष्टीकरणो के लिये शासन स्तर पर बार–बार मार्ग–दर्शन/निर्णय दिया जाना परिलक्षित नही होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एआईसीटीई के समय–समय पर किये गये संशोधनो अनुसार वर्तमान नियमो के परिप्रेक्ष्य में <u>पात्रता अनुसार</u> मध्यप्रदेश के पोलीटेक्निक/महिला महाविद्यालयों में सीधी भरती से चयनित/नियुक्त/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ विभागाध्यक्ष संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों को वेतनमान (37400–67000+9000 एजीपी) में नियुक्ति के समय न्यूनतम वेतनमान 40200+9000एजीपी पर नियतन का लाभ देने की कार्यवाही संचालनालय स्तर से ही तत्काल की जाना सुनिश्चित करे।

(पंकज शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं
रोजगार विभाग

पृ0क्रमांक एफ–1/4/2010/42–1, भोपाल, दिनांक 27.8.2018

प्रतिलिपिः–

समस्त प्राचार्य,पोलीटेक्निक/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं
रोजगार विभाग

Scanned by CamScanner

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशा/2/राज/A/2018/1374 /भोपाल, दिनांक 01.10.2018

4.10.2018

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

प्राचार्य, समस्त स्वशासी/शासकीय पोलीटेकनिक/महिला, पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर विभागीय पत्र क्रमांक/एफ–1/4/2010/42–1, दिनांक 27.08.18 के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संचालक द्वारा अनुमोदित

5/X

(डॉ० अभय कुमार जैन)
अतिरिक्त संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र.